

दूरभाष : 0121-2665734  
फैक्स : 0121-2666062

CIN : U31200UP2003SGC027458



कार्यालय  
प्रबन्ध निदेशक  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0  
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था0/सहा0अभि0/15-16

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0 3291-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2015 दिनांक 07.09.2015 जिसके द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक वरिष्ठता (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2007 द्वारा निविष्ट नियम-8(क) को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में ultra vires घोषित किये जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 शासन के आदेश सं0-8/4/1/2002 टी0सी0-1-का-2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन आदेश सं0 60-विनियम एवं काविनी/पाकालि दिनांक 21.08.2015 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत, निम्नांकित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को आरक्षण की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते दिनांक 07.09.2015 को विभागीय चयन समिति द्वारा उन्हें एकल वरिष्ठता क्रम के अन्तर्गत विचारित करते हुए प्रोन्नति हेतु उपयुक्त न पाने पर, उन्हे स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया गया है, को एतद्वारा अग्रिम आदेशों तक स्तम्भ-5 में अंकित मुख्य अभियन्ता (वितरण) से इस प्रतिबन्ध के साथ सम्बद्ध किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका संख्या-414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में उक्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार न दिया जाये :-

क्र0 सं0	नाम/अभि0सं0/गृह जनपद/सेवा निवृत्ति की तिथि/संवर्ग/वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के उपरान्त धारा 3(7) के माध्यम से प्रदान की गयी प्रोन्नति का पदनाम	धारा3(7) के माध्यम से प्राप्त की गयी प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम	पदावनति के उपरान्त सम्बद्ध कार्यालय/स्थान का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार (अनु0जा0)/(97110)/मुजफ्फरनगर /30.06.2022/वैद्युत एवं यान्त्रिकी/अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3, बुलन्दशहर।	अधिशाली अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वि0) मेरठ क्षेत्र (इस कार्यालय के ज्ञाप सं0 8919/पा0वि0वि0नि0लि0 / मेरठ/एसओ/स्था0/सहा0अभि0/15-16 दिनांक 18.09.2015 के संशोधनमें)

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 8995 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/स्था0/तददिनांक : 19-09-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कार्मिक एवं प्रशासन), पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0)/(ऊर्जा लेखा एवं आरजीजीवीवाई)/(आर0ए0पी0डी0आर0पी0)/(वाणिज्य)/(कस्टमर सर्विसेज)/(सामग्री प्रबन्धन)/जानपद (वितरण) पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र/सहारनपुर क्षेत्र।
8. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/(नोडल अधिकारी), पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, द्वितीय-बुलन्दशहर।
12. अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-3, बुलन्दशहर।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0, पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. उपसचिव अ0प्र0-02/03/04/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
16. संबंधित अधिकारी।
17. कम्प्यूटर अनुभाग, पा0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
18. व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल।

(एस0के0 गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर